राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी–एसपीएफसी) विभाग

क्रमांक–एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी /2017 जयपुर दिनांक– 11/07/2018

परिपत्र संख्या : 03/2018

परिपत्र

विषयः–वित्त(सा.वि.ले.नि/एसपीएफसी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.04.2018, परिपत्र दिनांक 30.04.2018 तथा आदेश दिनांक 14.05.2018 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

इस विभाग द्वारा ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी /2017 दिनांक 25.04.2018 तथा आदेश क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 14.05.2018 एवं परिपत्र संख्याः 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनके प्रकाश में उक्तानुसार जारी अधिसूचना, आदेश एवं परिपत्र के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–

1. वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 के अस्तित्व में आने से पूर्व में निष्पादित समस्त अनुबंध तत्समय प्रचलित नियमों के अध्यधीन अनुबंध अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

2. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 14.05.2018 जिसके द्वारा वित्त विभाग द्वारा पूर्व मे जारी परिपत्र क्रमांक एफ.9(1) एफ.डी.(1) Bud/2017 दिनांक 01.07.2015 को दिनांक 25.04.2018 से प्रत्याहरित किया गया है अतः दिनांक 14.05.2018 को जारी उक्त आदेश भी 25.04.2018 से ही प्रभावी होगें।

3. दिनांक 25.04.2018 से 14.05.2018 की अवधि में ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के सम्बन्ध में उपापन संस्थाओं के स्तर पर बोली प्रकिया विचाराधीन होने के बावजूद यदि कार्यादेश जारी नहीं हुआ है और संवेदक के साथ करार निष्पादित नहीं किया गया है। तब उपापन पर वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 प्रभावी होगी। जिन प्रकरणों में इस अवधि में कार्यादेश जारी होकर संविदा निष्पादित हो चुकी है, उन पर पूर्व के प्रावधान अनुबंध अवधि तक लागू रहेगें।

4. समस्त उपापन संस्थाएँ ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के संबंध में उपापन की कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 30.04.2018 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 28 में उल्लेखित उपापन की पद्धतियों (GeM सहित) के अनुसार कर सकेगें।

5. वित्त विभाग द्वारा मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में व्यक्तिगत रूप से जोब बेसिस (job Basis) पर अनुबन्ध करने का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु उपापन संस्था द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 एवं नियम,2013 की अनुपालना करते हुए संवेदक/सेवा प्रदाता के माध्यम से ही सेवाएँ जोब बेसिस पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाना है अतः व्यक्तिगत अनुबन्ध नहीं किए जाकर संवेदक/सेवा प्रदाता के माध्यम से ही मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन किया जाना सुनिश्चित करें।

6. ESI एवं EPF की कटौती के संदर्भ में परिपत्र में दिशा निर्देशो का उल्लेख किया गया है अतः तदनुसार अनुपालना सुनिश्चित करें।

7. उक्त परिपत्र में ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के लिए पृथक से कोई न्यूनतम दरों का निर्धारण नहीं किया गया है अपितु उपापन संस्था को मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन करते समय परिपत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों यथा प्रचलित न्यूनतम मजदूरी ,EPF,ESI आदि की अनुपालना करते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम,2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन किया जाना है।

8. ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने की सेवाएँ प्राप्त किए जाने हेतु वित्त(व्यय) विभाग के स्तर से पूर्व की भाँति नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाएँ।

9. वित्त विभाग (जीएण्डटी) के परिपत्र संख्या 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के दिशा–निर्देश समस्त प्रकार के मानव संसाधनों (ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने सहित) की सेवाओं के उपापन के संबंध में लागू होगें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधिनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान ,जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार(प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
16. निदेशक(तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
17. रक्षित पत्रावली।

11/7/18

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग